श्री राम बाबू दुबे, का० द्वारा आज दि. 14-3-16 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

# श्रीमान न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निग – 898 – II-16

वीर सिंह आयु–54 वर्ष पिता कल्याण सिंह निवासी–ग्राम मूढ़री तहसील बीना जिला सागर म.प्र.

.........आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. राजकुमार आयु– 43 वर्ष पिता कल्याण सिंह निवासी–ग्राम मूढ़री तहसील बीना जिला सागर म.प्र.
2. ज्सवंत सिंह पिता राजेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम मूढ़री तहसील बीना जिला सागर म.प्र. ...........अनावेदक

संपतिक प्रकरण क्रमांक 15अ6 वर्ष 2015–16 एवं इससे संबन्धित संशोधन पंजी क्रमांक 3 वर्ष 90–91 ग्राम मूढरी तहसील बीना जिला सागर विधिवत विचारण न्यायसालय तहसीलदार महोदय बीना आदेश दिनांक 09.02.2016 एवं संशोधन पंजी का आदेश दिनांक 01.04.91

## पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता आवेदक

### याचिका के संबन्धित तथ्य

1. यहकि, आवेदक को मोजा मूढ़री तहसील बीना स्थित भूमि खसरा नम्बर 96, 97, 98, 112, 113 रकवा क्रमशः 3.16, 0.10, 5.38,3.39,0.18 कुलरकवा 12.21 हैक्टेयर जिसकी पुरानी खसरा नम्बर 77 एवं 87 कुल रकवा 30.70 एकड़ भूमि रजिस्टर्ड बटवारा दिनांक 09.02.70 से आवेदक को परिवादित बटवारे में प्राप्त हुई थी उक्त भूमि अनावेदक क्रमांक

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 898–दो/2016 जिला–सागर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18-3-16 | प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, बीना द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.02.2016 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गयी है।<br>2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं आवेदक की ओर प्रस्तुत की गयी, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम मूढ़री, तहसील बीना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 96, 97, 98, 112, 113 रकवा क्रमांक 3.16, 0.10, 5.38, 3. 39, 0.18 कुल रकवा 12.21 हैक्टेयर, जिसका पुराना खसरा नम्बर 77 एवं 87 कुल रकवा 30.70 एकड़ भूमि का पंजीकृत बंटवारा दिनांक 09.02.1970 से आवेदक को बंटवारे में प्राप्त हुयी थी। उक्त भूमि पर अनावेदक क्र.2 द्वारा | |

कूटरचित संशोधन पंजी क्र.3 वर्ष 1990-91 में पारित आदेश दिनांक 01.04.1991 द्वारा अनावेदक क्र.1 द्वारा हल्का पटवारी एवं अधीनस्थ न्यायालय की मिलीभगत से पंजीकृत बंटवारे से प्राप्त भूमि अनावेदक क्र.1 के नाम दर्ज करने का क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया। उक्त आदेश का लाभ उठाकर अनावेदक क्र.1 द्वारा अनावेदक क्र.2 को अंश रकवा खसरा नम्बर 112 एवं 113 विक्रय कर दी, जब आवेदक को अनावेदक क्र.1 के नाम पर भूमि दर्ज किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई, तब उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की गयी। अनावेदक क्र.1 द्वारा अनावेदक क्र.2 को विवादित भूमि विक्रय की आपत्ति एवं नामान्तरण की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि-विरूद्ध आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त कर दी, तब आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत संशोधन पंजी क्र.3 वर्ष 1990-91 में पारित आदेश दिनांक 01.04.1991 की कार्यवाही क्षेत्राधिकार रहित होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधन पंजी क्र.3 को निरस्त नहीं किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

आवेदक को पंजीकृत बंटवारा दिनांक 09.02.1970 से पारिवारिक बंटवारें में जो भूमि प्राप्त हुयी थी। उक्त भूमि को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैध तरीके से संशोधन पंजी

क्रमांक 3 वर्ष 1990-91 से अनावेदक क्र.1 के नाम कर दी गयी। यह बंटवारा एवं नामांतरण कार्यवाही उक्त संशोधन पंजी पर की गयी है, जबकि संशोधन पंजी पर बंटवारा एवं नामान्तरण कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस संबंध में 1995 आर.एन. 27 में स्पष्ट किया गया है कि धारा 178-व्याप्ति-विभाजन का आदेश-नामांतरण रजिस्टर पर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार पंजीकृत बंटवारे से प्राप्त भूमि अनावेदक क्र.1 एवं 2 द्वारा आदेश दिनांक 01.04.1991 एवं 30.01.2016 द्वारा नाम दर्ज किये जाने का जो आदेश पारित किये है वह विधिवत एवं उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में संशोधन पंजी क्र.3 पारित आदेश 01.04.1991 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा संशोधन पंजी क्र.3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.04.1991 विधि-संगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं आदेश से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेखों में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य